LATEST NEWS

Election

Date : 15th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर

जयपुर 15-12-2025

नए मतदाता कल तक भी जुड़वा सकते हैं नाम

जयपुर | मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत नए पात्र मतदाता 14 से 16 दिसम्बर की शाम 5 बजे तक को बीएलओ से संपर्क करके खुद का नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी बीएलओ को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र में ड्यूटी लगाई है। ये मतदाताओं के आवेदन ऑनलाइन भरेंगे।

पंजाब केसरी
MON,15 DECEMBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 10

चुनाव सुधार और एस.आई.आर. पर संसद में बहस से किसे क्या मिला

तो चुनाव सुधार के नाम से संसद में एस.आई.आर. यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर बहस पूर्ण हो गई। हालांकि लंबे समय से इसकी मांग करने वाली कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने गृहमंत्री अमित शाह के उत्तर को बीच में छोड़कर बहिर्गमन किया।

कांग्रेस या विपक्ष कुछ भी कहे, देश में इसका संदेश उनके लिए नकारात्मक गया है। आज देश में सर्वेक्षण कर लीजिए, भारी संख्या में बहुमत गृहमंत्री अमित शाह का समर्थन तथा राहुल गांधी एवं विपक्ष का विरोध करेगा। इस कटु यथार्थ को न स्वीकारने की परिणति ही चुनावी विफलताओं में कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों को भुगतनी पड़ रही है।

कोई भी यह स्वीकार करेगा कि गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी से तथ्यों के साथ और प्रभावी भाषा में उत्तर दे रहे थे। उन उत्तरों में राहुल गांधी एवं विपक्ष के आरोप वास्तव में निराधार और तथ्यहीन साबित हो रहे थे। कायदे से एक परिपक्व लोकतंत्र में एस.आई.आर. जैसे विषय इतने विवाद, तनाव और संसद में चर्चा का विषय होने ही नहीं चाहिएं। केवल पात्र ही मतदाता बनें और सूची निर्दोष हो, इससे किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। चुनाव आयोग यही कर रहा है। उच्चतम न्यायालय भी विपक्ष की सारी दलीलें सुनने की मांग खारिज कर चुका है।

इसीलिए सरकार ने चुनाव सुधार की बात की और गृह मंत्री ने रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए कहा- एस.आई.आर. पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के अधीन काम नहीं करता, वह एक स्वतंत्र संस्था है। विपक्ष एस.आई.आर. की डिटेल में समीक्षा की मांग कर रहा है, जो संभव नहीं, क्योंकि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राहुल गांधी और विपक्ष के मुख्य आरोपों में चुनाव आयोग की नियुक्ति, आयोग का नियमों के विपरीत सरकार के दबाव में काम करना, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर एस.आई.आर. कराना, ई.वी.एम. को संदेहास्पद तथा सी.सी.टी.वी. फुटेज को 45 दिन बाद नष्ट करने आदि विषय शामिल थे। गृह मंत्री का यह कहना बिल्कुल सच है कि चुनाव आयोग, एस.आई.आर., सी.सी.टी.वी. फुटेज या अन्य सारे विधान और नियम पहले के ही बनाए गए हैं, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी।

अवधेश कुमार

वस्तुत: अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्तों को विशेष अधिकार दिए गए तो अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता तय की गई है और एस.आई.आर. का अधिकार चुनाव आयोग को अनुच्छेद 327 में है। सन् 2000 के बाद 3 बार एस.आई.आर. हुआ और 2 बार भाजपा-एन.डी.ए. की सरकार थी, एक बार मनमोहन सिंह की, तब किसी ने विरोध नहीं किया।

क्या यह सच नहीं है कि 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री द्वारा तय की जाती थी तथा 2023 तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोई कानून नहीं था? 2023 में उच्चतम न्यायालय ने कानून बनने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति बनाने का सुझाव दिया था। जब कानून बन गया तो व्यवस्था समाप्त हो गई। वैसे भी नियुक्ति का मामला फिर उच्चतम न्यायालय में है और उसका फैसला आने वाला है। कोई यह आरोप लगाए कि समिति में सरकार का बहुमत ज्यादा है, तो चुनाव में जनता ने जिसे बहुमत दिया है किसी भी समिति में उसकी संख्या ज्यादा होगी।

अब ई.वी.एम.। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 15 मार्च, 1989 को ई.वी.एम. लाने का प्रावधान किया गया। ई.वी.एम. के खिलाफ याचिका को उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने 2002 में उचित ठहराया। ई.वी.एम. का उपयोग पहली बार 2004 में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और तब यू.पी.ए. सरकार के रूप में कांग्रेस की वापसी हुई। 2009 का चुनाव भी कांग्रेस ने इसी से जीता। तब कांग्रेस या विपक्ष ने ई.वी.एम. पर प्रश्न नहीं उठाया।

सच यही है कि 2014 में पराजय के बाद से ई.वी.एम. को भारत और उसके बाहर संदेहास्पद बनाने की पूरी कोशिश की गई। केवल उच्चतम न्यायालय ने 41 बार ई.वी.एम. पर याचिकाओं की सुनवाई की और खारिज किया। बार-बार ई.वी.एम. पर प्रश्न उठाने पर 5 वर्ष तक अनुसंधान के बाद वीवीपैट लाया गया। पांच प्रतिशत ई.वी.एम. और वीवीपैट के परिणामों संबंधी आंकड़ा देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि आज तक 16 हजार वीवीपैट और ई.वी.एम. का मिलान हुआ है, जिसमें एक भी वोट की गड़बड़ी सामने नहीं आई।

विपक्ष की सी.सी.टी.वी. फुटेज की मांग पर शाह का जवाब था कि पहले चुनाव कानून के तहत पर्ची को 45 दिन तक ही सुरक्षित रखने का प्रावधान था, ताकि जिन्हें परिणाम के विरुद्ध या धांधली पर याचिका डालनी हो उनके लिए उपलब्ध रहे। जब सी.सी.टी.वी. आया तो उस जगह यह शामिल हो गया। नियम पहले के हैं। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए न्यायालय में जाकर 45 दिन के अंदर सी.सी.टी.वी. फुटेज हासिल कर सकता है।

सामान्य तौर पर भी देखा जाए तो निष्कर्ष आएगा कि बहस की मांग विपक्ष के लिए राजनीतिक रूप से विपरीत परिणाम वाली साबित हुई है। कारण, तथ्य उनके साथ नहीं है। जब आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो प्रत्यारोप सुनना पड़ेगा। गृह मंत्री ने स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के चयन में पटेल की जगह नेहरू को कम वोट मिलने से लेकर 1971 में इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण घोषित करने तथा अंतत: संसद द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इम्युनिटी यानी प्रतिरक्षा हासिल करने को असली वोट चोरी बता दिया।

चुनाव सुधार की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. फुटेज की समय सीमा या अन्य कुछ बातों तथा प्रावधानों में परिवर्तन करने पर आपसी सहमति से विचार हो सकता है। किंतु जो-जो व्यवस्था पहले से है, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को दोषी ठहरा कर अभियान चलाने का कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं हो सकता। वास्तव में पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग और भारत की पूरी चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ जो सुनियोजित अभियान चल रहा है, वह किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के हित में नहीं है। क्यों चल रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी गहराई से छानबीन की आवश्यकता है।

awadheshkum@gmail.com

मिशन मोड में बीएलओ, एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार

बड़गांव @ पत्रिका. बीएलओ अब मिशन मोड में आ गए हैं और एसआइआर (गहन पुनरीक्षण) के कार्य में तत्परता से जुट गए हैं। रविवार के दिन भी बीएलओ अपने घरों में रहने के बजाए स्कूल में व गांव में घूम कर मतदाताओं के प्रपत्र फार्म भर रहे हैं। घोड़ीगांव स्कूल के बीएलओ कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि हमने मतदाताओं को 780 फॉर्म भरने के लिए दिए थे जिसमें से 600 फॉर्म जमा हो गए हैं। साथ ही 260 ऑनलाइन हो गए हैं। इस कार्य में सहायक बीएलओ धनराज प्रजापति, प्रधानाचार्य जुगल किशोर मीणा, व्याख्याता अजीत सिंह, वरिष्ठ अध्यापक नृसिंह लाल व समाज सेवक भूपेंद्र मीणा ने सहयोग किया।